

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द्र पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 25/02/2026

विषय:-केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन 50 शय्या युक्त एकीकृत आयुष अस्पताल, बोधगया के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रु० 14,75,39,000/- (चौदह करोड़ पचहत्तर लाख उनचालीस हजार रुपये) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश: स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक-8930 दिनांक-31.12.2024 के माध्यम से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन 50 शय्या युक्त एकीकृत आयुष अस्पताल, बोधगया के भवन निर्माण हेतु स्थूल प्राक्कलन कुल रु० 14,75,39,000/- (चौदह करोड़ पचहत्तर लाख उनचालीस हजार रुपये) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त कार्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के माध्यम से करायेगें। कार्य करारते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायगा-

- (i) भवन निर्माण कार्य स्वास्थ्य विभाग को आवंटित भूमि परिसर में अवस्थित उपलब्ध आवश्यक भूमि पर ही कराया जाएगा।
- (ii) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी सतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि संबंधित कार्य किसी अन्य योजना से नहीं कराया जा रहा हो या पूर्व में नहीं कराया गया हो।
- (iii) निगम द्वारा प्रदत्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के मुताबिक ही कार्य कराया जायेगा।
- (iv) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।
- (v) कार्य का राधन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। भवन निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की ही होगी। सिविल सर्जन एवं प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सतुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।
- (vi) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा। भवन निर्माण संबंधी कार्यादेश निर्गत के उपरान्त समय सीमा का पूर्ण अनुपालन की जिम्मेवारी भी संबंधित पदाधिकारी/एजेन्सी की होगी।
- (vii) निगम के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नहीं हो जाय। तदक्रम में निगम द्वारा भी भवन निर्माण संबंधी छ मासिक प्रगति से विभाग को अवगत कराया जाएगा, जबतक भवन निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाय।



1